# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0061 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/03/2026 16:39 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2)(a) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 04/03/2026

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/03/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/03/2026 16:39:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 36 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT KARYALAY, ANADARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** LAKHMA RAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** VAGATARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | AMALA KERA, ANADARA, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | AMALA KERA, ANADARA, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAXMILAL | | पिता:NARAYANLAL | 1. 135,MUNIRAJ NAGAR,ANADARA,SIROHI,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | AKHILESH KUMAR | | पिता:LAXMILAL | 1. 135,MUNIRAJ NAGAR,ANADARA,ANADARA,SIROHI,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 1,00,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 26.01.2026 को समय 10.48 ए0एम0 पर मन् रामेश्वरलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाश श्री लखमा राम पुत्र श्री वगताराम, उम्र निवासी ग्राम आमला खेड़ा, पुलिस थाना अनादरा, जिला सिरोही ने सूचना दी कि ग्राम आमला खेड़ा के आबादी क्षेत्र में मेरी पत्नी श्रीमती भूरीदेवी के नाम के आवासीय भूखण्ड पर निर्माण कार्य की एन.ओ.सी. प्रदान करने एवं मेरे ग्राम पंचायत की सीसी रोड़ क्षतिग्रस्त करने पर मरे लिखाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराने के ऐवज में श्री लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी मेरे से एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं श्री लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हॅू। जिस मन् एएसपी द्वारा उन्हे लिखित रिपोर्ट लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा तो परिवादी श्री लखमाराम ने ब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट देने में असमर्थता व्यक्त करते हुऐ बताया कि मैं सिरोही नहीं आ सकता, अगर ब्यूरो के कोई अधिकारी ग्राम अनादरा में मुझे मिलते है तो मैं कार्यवाही करवाने के लिऐ मेरी तरफ से लिखित रिपोर्ट दे सकता हॅू। जिस पर परिवादी श्री लखमाराम को ग्राम अनादरा में किसी गोपनीय स्थान पर उपस्थित रहने का कहा एवं उसे बताया कि ब्यूरो कार्यालय के श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक आपके पास आकर आपसे मिलेंगे। जरिये दूरभाश परिवादी श्री लखमाराम द्वारा बताऐ गये तथ्यों अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला पीसी एक्ट का बनना पाया जाने पर परिवादी से रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय में उपस्थित श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक एवं श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119 को मन् एएसपी ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया एवं परिवादी श्री लखमाराम के मोबाईल नम्बर एवं कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय एसडी मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर निर्देषित किया कि आप ग्राम अनादरा सरहद में प्रवेश करते ही गोपनीय स्थान पर श्री लखमाराम नामक व्यक्ति मिलेगा, जिससे श्री लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अनादरा को रिश्वत लेते पकड़वाने के लिऐ एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट के सन्दर्भ में गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करावे। हिदायत शुदा गये हुऐ श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक व कानि. श्री रमेश कुमार दिनांक 26.01.2026 को ही वक्त 03.30 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री लखमाराम पुत्र श्री वगताराम, जाति, कोली, निवासी ग्राम आमला खेड़ा, पुलिस थाना अनादरा, जिला सिरोही की हस्तलिखित रिपोर्ट एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर पेश किया। रिपोर्ट का अवलोकन करने पर परिवादी श्री लखमाराम द्वारा जरिये दूरभाश बताए गये तथ्यों की पुष्टि हुई। उपस्थित श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक ने बताया कि श्रीमान के निर्देषानुसार मैं एवं श्री रमेश कुमार कानि. कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय एसडी मैमोरी कार्ड के भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही से रवाना होकर सरहद अनादरा पहुंचे। जहां जरिये वॉटसअप कॉल परिवादी श्री लखमाराम से सम्पर्क कर गोपनीय स्थान पर परिवादी से मिला। जिस पर मन् कुयाराम पुलिस निरीक्षक का परिचय परिवादी श्री लखमाराम को देकर उसका परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात परिवादी श्री लखमाराम ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय स्वयं व पत्नि श्रीमती भुरीदेवी के आधार कार्ड की फोटो प्रति मय चार भूखण्डों के पट्टो एवं क्रय किये गये अनुबंद दस्तावेजों की प्रति पेश की। जिस पर रिपोर्ट का मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अवलोकन करने पर मामला पीसी एक्ट का बनाना पाया जाने एवं श्रीमान के निर्देषानुसार रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवष्यक होने से परिवादी श्री लखमाराम को श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति के बारे पूछने पर परिवादी ने उसने स्तर पर जानकारी की तो पाया गया कि श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकरी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के समापन के बाद ग्राम पंचायत से बाहर चला जाने एवं आज के रोज वापस नहीं आकर बाहर होना पाया गया। जिस पर परिवादी श्री लखमाराम को आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति एवं उसके स्वयं के सहजता के हिसाब से वार्ता करना सुलभ होने पर ब्यूरो कानि. श्री रमेश कुमार से सम्पर्क करने की हिदायत दी जाकर परिवादी श्री लखमाराम व कानि श्री रमेश कुमार दोनों का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों के मोबाईल नम्बरों आपस में आदान-प्रदान करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को वहां से रूखसत मन् कुयाराम पुलिस निरीक्षक एवं श्री रमेश कुमार कानि मय कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिपोर्ट मय एसडी मैमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित आये है। दिनांक 30.01.2026 को कानि. श्री रमेश कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर बताया कि परिवादी श्री लखमाराम से जरिये व्हॉट्सएप कॉल बताया कि आज श्री लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास

अधिकारी के बारे में मैंने मेरे स्तर पर मालूमात किया तो पता चला कि श्री लक्ष्मीलाल, ग्राम पंचायत ऑफिस अनादरा में उपस्थित है, मैं पूर्व की भांति हाईवे किनारे सरहद अनादरा में ही उपस्थित मिल सकता हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष की अलमारी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकालकर श्री रमेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने हेतु अनादरा की तरफ जरिये निजी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। उसी रोज शाम के समय कानि. श्री रमेश कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वॉट्सअप कॉल बताया कि परिवादी श्री लखमाराम एवं श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग के सम्बंध में वार्ता हुई है। दौराने वार्ता श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादी श्री लखमाराम ने उसके कार्य के एवज में एक लाख रूपये की मांग की है। परन्तु परिवादी श्री लखमाराम कह रहा है कि मैं मजदूर व्यक्ति हॅू मेरे पास एक लाख रूपयों की व्यवस्था नहीं को सकती है। जिस पर मन् एएसपी ने कानि. श्री रमेश कुमार कानि को निर्देषित किया कि आप परिवादी श्री लखमाराम को कार्यवाही की अब तक की गोपनीयता बरतने एवं दिनांक 02.02.2026 को भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित आने की हिदायत कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित हालात में लेकर भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही उपस्थित आवे। मन् एएसपी के निर्देषानुसार शाम के समय कानि. श्री रमेश कुमार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि निर्देषानुसार आज सुबह वक्त करीब साढ़े ग्यारह बजे सरहद अनादरा हाईवे किनारे पहुंच परिवादी से सम्पर्क किया एवं श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी ने अपने स्तर पर मालूमात कर बताया कि श्री लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भवन अनादरा से अभी-अभी रेवदर की तरफ निकल गया है। जिस पर परिवादी एवं मैने श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के पुनः ग्राम पंचायत ऑफिस अनादरा में उपस्थित आने के इन्तजार में गोपनीय स्थान पर व्यस्त हुऐ। दोपहर बाद परिवादी ने अपने स्तर श्री लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति के बारे में पुनः मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि श्री लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी रेवदर से अपनी मोटर साईकिल लेकर अनादरा की तरफ रवाना हुऐ है। जिस पर मैं एवं परिवादी श्री लखमाराम ग्राम पंचायत भवन अनादरा के पास हाईवे किनारे श्री लक्ष्मीलाल के पंचायत भवन में उपस्थित आने के ईन्तजार में खडे रहे। कुछ समय पश्चात श्री लक्ष्मीलाल वीडीओ मोटर साईकिल से करोटी की तरफ से आते हुऐ ग्राम पंचायत भवन अनादरा में प्रवेश नहीं कर सीधे ही बाजार की तरफ निकल गये । जिस पर परिवादी श्री लखमाराम ने मन् कानि. को बताया कि आप वॉयस रिकार्डर ऑन करके मुझे दे दो, मैं उनके पीछे-पीछे बाजार में जहा भी उनसे वार्ता करने का मौका मिलेगा वार्ता कर लूंगा। जिस पर मन् कानि. ने कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री लखमाराम को श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी से वार्ता करने हेतु जरिये परिवादी की मोटर साईकिल के श्री लक्ष्मीलाल के पीछे रवाना किया। ग्राम पंचायत भवन के पास हाईवे पर परिवादी के पुनः आने के इन्तजार में खड़ा रहा। करीब बीस-पच्चीस मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया जिससे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर मैंने सुरक्षित अपने कब्जे में लिया और पूछने पर परिवादी श्री लखमाराम ने बताया कि श्री लक्ष्मी लाल, ग्राम विकास अधिकारी मुझे यहीं अनादरा के बाजार में सब्जी की दुकान पर पास सड़क पर मिले जिनसे मैंने मेरे ग्राम आमला के भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति की एन.ओ.सी. के बारे में बातचीत की तो उन्होंने मुझ पर सी.सी. सड़क तोड़ने पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाकर मामला रफा-दफा करवाने एवं मेरे भूखण्ड पर भवन निर्माण की ए.ओ.सी. जारी करने की एवज में स्वयं एवं सरपंच के लिए एक लाख रूपये की रिश्वत मांग की है एवं मंगलवार को लाकर देने का बोला है। उक्त वार्ता इस वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। श्री रमेश कुमार कानि. ने यह भी बताया कि परिवादी श्री लखमाराम द्वारा स्वयं के मजदूर होने एवं एक लाख रूपये की व्यवस्था करने में असमर्थता जताई गई। कानि. श्री रमेश कुमार से प्राप्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चालू कर स्पीकर की सहायता से रिकॉर्डेड वार्ता सुनी गई तो कानि. श्री रमेश कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की उपरोक्तानुसार पुष्टि हुई। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये जायेंगे। मन् एएसपी ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वयं के कब्जे में लेकर कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखकर अलमारी तालाबंद कर चाबी स्वयं के कब्जे में सुरक्षित रखी गई। आईन्दा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। कानि. श्री रमेश कुमार को प्रकरण के संबन्ध में गोपनीयता बरतने की सख्त हिदायत दी गई। दिनांक 02.02.2026 को मन् अतिरिक्त पुलिस द्वारा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में रिकॉर्डेड रिष्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट की कार्यवाही के लिए परिवादी श्री लखमाराम की आवष्यकता होने से परिवादी श्री लखमाराम को जरिये वॉट्सअप कॉल भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित आने हेतु पाबन्द करने पर परिवादी श्री लखमाराम उपस्थित कार्यालय आया एवं मन् एएसपी द्वारा पूछने पर बताया कि मेरी पत्नी श्रीमती भूरीदेवी के नाम क्रय शुदा चार आवासीय भूखण्डों के परकोटा एवं शौचालय निर्माण करने एनओसी हेतु दिनांक 23.01.2026 को ग्राम पंचायत अनादरा में आवेदन कर श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी से मिला तो उन्होने कहा कि आपने चार दिवारी हेतु नींव खुदाई के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सीसी सड़क को क्षतिग्रस्त किया है। अगर क्षतिग्रस्त करने का मुकदमा नहीं करवाना है एवं निर्माण की एनओसी लेनी है तो मुझे एक लाख रूपये देने पडेंगे। मैं श्री लक्ष्मीलाल जी को रिश्वत नहीं देना चाहता था उन्हे रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता था। इसलिऐ मैंने मेरे मिलने वाले से आपके मोबाईल नम्बर लेकर आपसे सम्पर्क किया था। दिनांक 26.03.2026 को मैं मेरे घरेलू कार्य में व्यस्त होने से आपको रिपोर्ट देने के लिऐ उपस्थित नहीं हो

सका। उस रोज आपके कार्यालय के श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक एवं श्री रमेश कुमार कानि. कस्बा अनादरा में मेरे पास उपस्थित आये थे। श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मेरे जायज कार्य के लिऐ रिश्वत मांगने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करवाने हेतु हस्तलिखित रिपोर्ट श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक को दी थी। दिनांक 26.01.2026 को श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित नहीं होने से उस रोज उनसे वार्ता नहीं हो सकी। श्री कुयाराम सीआई साहब ने अपने साथ आये श्री रमेश कुमार कानि. का मेरे से परिचय करवाया एवं हम दोनों के मोबाईल नम्बरों का आदान-प्रदान करवाया था। दिनांक 30.01.2026 को श्री लक्ष्मीलाल की उपस्थित ज्ञात कर मैने श्री रमेश कुमार को वॉटसअन कॉल कर बताया था। जिस पर वह आपके कार्यालय का रिकार्डर लेकर मेरे पास आये। मैने श्री लक्ष्मीलाल से सम्पर्क कर मेरे कार्य के बारे में वार्ता की तो उन्होने मेरे जायज कार्य के एवज में एक लाख रूपये की मांग की है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास से एक लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री लखमाराम को दिखाई गई तो उसने उक्त रिपोर्ट को देखकर बताया कि यह रिपोर्ट मेरे द्वारा ही श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक को दी गई थी, यह रिपोर्ट मैने मेरे मिलने वाले से लिखवा कर लाया था। उक्त रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सहीं है एवं मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। इस रिपोर्ट के साथ सलंग्न आधार कार्ड की फोटो प्रति मेरे स्वयं के आधार कार्ड की प्रति है जिस पर भी मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। जिस पर मन् एएसपी ने दिनांक 30.01.2026 को परिवादी श्री लखमाराम एवं श्री लक्ष्मीलाल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, उक्त डीवीआर को चालू कर वार्ता को परिवादी श्री लखमाराम को सुनाया गया तो उसने  बताया कि यह मेरे एवं श्री लक्ष्मीलाल के मध्य दिनांक 30.01.2026 को हुई वार्ता ही है। उक्त वार्ता के दौरान हीं श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी ने मेरे एक मेरे कार्य के एवज में एक लाख रूपये की मांग की है, जो मंगलवार को देना तय हुआ है। जिस पर मन् एएसपी ने परिवादी श्री लखमाराम को एक लाख रूपये की व्यवस्था करने के लिए कहा गया तो लखमाराम ने बताया कि मैं खेती करने वाला मजदूर आदमी हूं मेरे पास इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था नहीं हो सकती है, मैं अधिकतम दस हजार रूपये की मेरे स्तर पर किसी से उधार लेकर व्यवस्था कर सकता हूं, इससे अधिक रूपये मेरे पास नहीं होंगे। जिस पर आरोपी को दी जाने वाली शेश नब्बे हजार रूपये भारतीय मुद्रा की परिवादी के पास व्यवस्था नहीं होने से शेश नब्बे हजार रूपये बतौर रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 180 डमी नोट, जो भारतीय मुद्रा के 500 रूपये की तरह दिखती है से कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुऐ। परिवादी को हिदायत दी गई कि कल दिनांक 03.02.2026 को 10,000 रूपये भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट एवं 90,000 रूपये डमी नोट जो भारतीय मुद्रा से मिलते-झुलते 180 नोट इस प्रकार कुल 1,00,000 रूपये (10000 रूपये भारतीय मुद्रा एवं 90,000 रूपये डमी नोट) की व्यवस्था कर कल सुबह 09ः00 ए0एम0 पर भ्रनिब्यूरो चौकी सिरोही उपस्थित आये। जिस पर परिवादी ने दस हाजार की वैध प्रचलित भारतीय मुद्रा के साथ-साथ अपने स्तर पर उपरोक्तानुसार 180 डमी करेंसी नोटों की व्यवस्था कर लाने की सहमति प्रदान की। तत्पश्चात कल दिनांक 03.02.2026 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में दो स्वातंत्र गवाहों की आवष्यकता होने से आयुक्त नगर परिशद् सिरोही के नाम तहरीर मुर्तिब कर श्री चेलाराम हैड कानि. नंबर 109 को गवाह तलबी हेतु नगर परिशद् सिरोही की तरफ रवाना किया गया। कुछ समय बाद श्री चेला राम हैडकानि. नं. 109 मय दो व्यक्तियों के उपस्थित चौकी आया। श्री चेलाराम हैड कानि. के साथ आये हुए दोनों व्यक्तियों से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय क्रमषः महिपाल सिंह पुत्र श्री गोविंद दान, जाति चारण, उम्र- 37 वर्ष, निवासी ग्राम झांकर, पॉस्ट- जनापुर, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही हाल सफाई निरीक्षक नगर परिशद् सिरोही व विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. दलपत सिंह, जाति राजपूत, उम्र- 23 वर्ष, निवासी- कब्रिस्तान रोड़, शिवनगर कोलोनी सिरोही, पुलिस थाना कोतवाली सिरोही, जिला सिरोही हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिशद् सिरोही के रूप में दिया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हाजिर परिवादी का परिचय देकर दोनों कर्मचारियों को एसीबी ऑफिस बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए परिवादी द्वारा दिनांक 26.01.2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई तथा बारी-बारी से दोनों को पढ़ने के लिए दी गई तथा दिनांक 30.01.2026 को आरोपी लक्ष्मी लाल ग्राम विकास अधिकारी एवं परिवादी श्री लखमाराम मध्य रूबरू हुई रिष्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के महत्वपूर्ण अंश स्पीकर में सुनाये गये। तत्पष्चात् उपरोक्त दोनों कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्रदान करते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दोनों ने अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। जिस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.01.2026 को आरोपी एवं परिवादी के मध्य रूबरू हुई रिष्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है, कि कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से स्पीकर से सुन-सुनकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिष्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब कर एवं मूल मेमोरी कार्ड का हैश वैल्यू ज्ञात मूल मेमोरी से से दो क्लोन पेन ड्राईव्ज तैयार कर मूल मेमोरी कार्ड का एक कपडे की थेली में डालकर सीलमोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित थेली पर मार्क ''डी अंकित किया गया। परिवादी द्वारा आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि एक लाख रूपये के 500-500 रूपये के बीस नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 180 डमी करेन्सी के नोटों की व्यवस्था सुबह कर लाने एवं कल के रोज आरोपी द्वारा रिष्वती राशि मंगवाने के कारण कल सुबह कार्यालय समय से पूर्व उपरोक्तानुसार रिश्वत राशि के नोटों की व्यवस्था कर लाने की हिदायत देकर परिवादी श्री लखमाराम एवं दोनों गवाहान श्री महिपाल सिंह एवं श्री

विरेन्द्र सिंह को ब्यूरो की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं कल दिनांक 03.02.2026 को वक्त 08ः30 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत दी गई। साथ ही कार्यालय स्टाफ को प्रकरण में गोपनीयता बरतने एवं कल के रोज प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के लिए आवष्यक तैयारी करने व कल सुबह अव्वल वक्त पर ऑफिस आने बाबत हिदायत दी गई। दिनांक 03.02.2026 को प्रातः पाबंद षुदा परिवादी श्री लखमाराम एवं दोनों गवाहान श्री महिपाल सिंह, सफाई निरीक्षक व श्री विरेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक चौकी हाजा पर उपस्थित आये। उपस्थित परिवादी श्री लखमाराम को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि एक लाख रूपये के बारे में पूछने पर बताया कि मैं 500-500 रूपये के 20 असली नोट और 500-500 रूपये के डमी करेंसी के 180 नोट कुल एक लाख रूपये अपने साथ लेकर आया हूं। जिस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए आरोपी को दी जाने वाली रिष्वती राशि एक लाख रूपये के नोट पेश करने हेतु परिवादी को कहा तो परिवादी ने अपने साथ लाये हुए 500-500 रूपये के 20 प्रचलित भारतीय मुद्रा के वैध नोट एवं उक्त 500-500 रूपये के सदृष्य प्रतीत होने वाले 180 डमी करेन्सी के नोट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये जिनका अवलोकन किया जाकर रूबरू गवाहान उपस्थितजन को बताया गया कि आरोपी द्वारा परिवादी से एक लाख रूपये की रिष्वती राशि की मांग की है, जिस पर परिवादी लखमाराम खेती-किसानी करने वाला मजदूर होने से आरोपी को देने के लिए श्री लखमाराम के पास भारतीय वैध मुद्रा के एक लाख रूपये के नोटों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लखमाराम के पास भारतीय वैध मुद्रा के केवल दस हजार राशि के 20 नोट की व्यवस्था ही हो पाई है, इसलिए लखमाराम ने शेश 90 हजार राशि के 180 नोट डमी करेंसी के अपने साथ लेकर आया हैं, जो कि प्रचलित भारतीय वैध मुद्रा के 500-500 रूपये के नोटों के सदृष्य दिखाई देने के कारण उक्त सभी नोटों को एस साथ मिलाकर एक लाख रूपये के रूप में आरोपी श्री लक्ष्मी लाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अनादरा के रिश्वत के रूप में देगा। तत्पष्चात् गवाहान की सहायता से प्रचलित वैध भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोटों के नंबर फर्द पेशकषी में अंकित करवाये गये तथा शेश 180 डमी करेंसी नोटों पर क्रमषः क्रमांक 1 से 180 तक अंकित किये जाकर प्रत्यक नोट पर परिवादी श्री लखमाराम, गवाहान् श्री महिपाल सिंह एवं श्री विरेन्द्र सिंह के लघु हस्ताक्षर करवाये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधिकारी द्वारा स्वयं के लघु हस्ताक्षर किये गये तथा कानि. चालक श्री गणेश लाल नंबर 561 की सहायता से उक्त सभी 200 नोटों पर हल्का-हल्का फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उक्त सभी नोट परिवादी श्री लखमाराम के पहने हुऐ जैकेट साईड की दाहिनी जेब में रखवाये जाकर दृष्टांत फिनॉफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर दिया जाकर नियमानुसार पृथक् से फर्द पेशकषी एवं दृष्टांत फिनॉफ्थनीन व सोडियम कार्बोनेट मुर्तिब की जाकर संबन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक दिनांक 03.02.2026 को समय 11ः15 ए0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेष्वलाल मय ब्यूरो जाब्ता श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक, श्री अवतारसिंह ए.ए.ओ., श्री चेलाराम हैड कानि., श्री रमेश कुमार कानि. श्रीमती ईषू महिला कानि., श्री रामदयाल क.सहा. दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री महिपालसिंह व श्री विरेन्द्रसिंह, परिवादी श्री लखमाराम मय ट्रेप बॉक्स, डीवीआर, मेमोरी कार्ड, विडियो कैमरा, कम्प्यूटर, लेपटोप, प्रिन्टर एवं आवष्यक अन्य सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरा नम्बर आरजे 14 यूए 0819 मय चालक श्री गणेशलाल व प्राईवेट वाहन ईनोवा नम्बर आरजे 24 टीए 2868 मय चालक श्री लक्ष्मण मीणा के भ्रनिब्यूरो चौकी सिरोही से कस्बा अनादरा के लिऐ रवाना होकर कस्बा अनादरा से कुछ दुर पहले हाईवे पर एकान्त स्थान पर रूके, जहां पूर्व से ही परिवादी ने अपनी मोटर साईकिल रखी हुई थी। जहा मन् एएसपी ने परिवादी श्री लखमाराम को आरोपी श्री लक्ष्मीलाल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिऐ कहा, तो परिवादी श्री लखमाराम ने अपने स्तर पर आरोपी श्री लक्ष्मीलाल की उपस्थिति ज्ञात कर मन् एएसपी को बताया कि आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भवन, अनादरा में उपस्थित है। जिस पर कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में एक नया एसडी मैमोरी कार्ड इन्सर्ट कर रिकार्डर को चालू चालू कर परिवादी श्री लखामाराम को सुपुर्द कर उसकी स्वयं के मोटर साईकिल से ग्राम पंचायत भवन अनादरा के लिऐ रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे श्री रमेश कुमार कानि. एवं अवतारसिंह एएओ को रवाना किया। मन् एएसपी मय हमरायान के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ खडे रहे। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री लखमाराम, श्री अवतारसिंह एएओ व श्री रमेश कुमार कानि. पुनः मेरे पास आये। श्री अवतारसिंह ने बन्द हालात में डी.वी.आर मन् एएसपी को सुपुर्द किया। जिसे मैने सुरक्षित अपने कब्जे में रखा। उपस्थित परिवादी श्री लखमाराम ने मन् एएसपी को बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर ग्राम पंचायत भवन अनादरा में पहुॅचा, जहा श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी व अन्य दो तीन-तीन व्यक्ति अटल भवन केन्द्र में बैठे मिले। ग्राम विकास अधिकारी से मैंने मेरे एनओसी के बारे में बातचित की तो उन्होने कहा कि पहले मौके पर काम चालू करो आपको एनओसी मिल जायेगी, जब मैने कहां कि पैसे लाया हॅ तो उन्होने कहा कि वह तो देने ही है, पर पहले काम चालू करो, पैसों का बाद में देखेंगे। फिर भी मैने तय शुदा रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये देने कहा तो उन्होने कहा बाद में देखेंगे। जिस पर मन् एएसपी ने डिजटल वॉयस रिकार्डर को चालू कर उसमें हुई रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी क कथनों की ताईद हुई। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मैं मेरे आवासीय भूखण्डों पर चार दिवारी निर्माण के लिऐ सामग्री डालकर कार्य प्रारम्भ करवा दूंगा, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी मौके पर आयेंगे तब मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे। आज के रोज अब देन-देन की कार्यवाही नहीं हो सकती। परिवादी के कथनों एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड परिवादी एवं आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास

अधिकारी की वार्ता से आज के रोज रिश्वत राशि लेन-देन की कार्यवाही सम्भव नहीं होने से परिवादी श्री लखमाराम को दी गई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 10,000 रूपये भारतीय मुद्रा एवं 90,000 रूपये डमी नोट कुल एक लाख रूपये श्री गणेशलाल कानि. चालक से परिवादी के पहने हुऐ जैकेट की दाहिनी साईड की जेब से पुनः बाहर निकाल कर एक प्लास्टिक की थेली में डालकर सुरक्षित जमा ट्रेप बॉक्स करवाई गई। परिवादी श्री लखमाराम को हिदायत दी गई कि आप अपने आवासीय भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाकर ग्राम विकास अधिकारी से बात कर रिश्वत राशि लेन-देन कोई सम्भावना हो तो तुरन्त ब्यूरो से सम्पर्क करे एवं ब्यूरो कार्यवाही की गोपनीय बनाऐ रखे। इत्यादी हिदायत दी जाकर परिवादी श्री लखमाराम को रूखसत किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता मय साथ आये ट्रेप बॉक्स व अन्य उपकरण के जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के कस्बा अनादरा से रवाना होकर भ्रनिब्यूरो सिरोही पहुंचे। दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री महिपालसिंह व श्री विरेन्द्रसिंह व प्राईवेट वाहन मय चालक श्री लक्ष्मण मीणा को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने हिदायत देकर रूखसत किया गया एवं कार्यालय स्टाफ को भी ब्यूरो कार्यवाही की गोपनीयता बरतने हिदायत दी गई। दिनांक 03.02.2026 को शाम के समय परिवादी श्री लखमाराम ने जरिये वॉटसअप कॉल सम्पर्क कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के कहे अनुसार मेरे आवासीय भूखण्ड पर चार दिवारी निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है। कल दिनांक 04.02.2026 को सुबह के समय श्री लक्ष्मीलाल मौका देखने के लिऐ मेरे आवासीय भूखण्ड पर आ जायेगे। जहां वह मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण करेगा। लेन-देन कल होना सम्भावित है। इसलिये कल दिनांक 04.02.2026 को प्रातः 10 बजे आप अपनी टीम लेकर अनादरा आकर श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुऐ का रंगे हाथों पकडने की कार्यवाही करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री लखमाराम को हिदायत दी कि कल दिनांक 04.02.2026 को वक्त 11ः00 ए0एम0 पर अनादरा सरहद पर गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलना। परिवादी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कल दिनांक 04.02.2026 को ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही किये का निर्णय लेते हुऐ स्वतन्त्र गवाहान श्री महिपालसिंह व विरेन्द्रसिंह, ब्यूरो जाब्ता, प्राईवेट टेक्सी चालक श्री लक्ष्मण मीणा को मय वाहन को कल दिनांक 04.02.2026 को प्रातः भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 04.02.2026 को प्रातः पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री महिपालसिंह व श्री विरेन्द्रसिंह व समस्त ब्यूरो जाब्ता भ्रनिब्यूरो कार्यालय में आये। समस्त ब्यूरो जाब्ता एवं गवाहन के उपस्थित आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये वॉटसएप कॉल परिवादी श्री लखमाराम से सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि अभी तक श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं हुआ है। 10 बजे के बाद या तो वह मेरे द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य का मौका देखने के लिऐ आयेंगे या ग्राम पंचायत भवन अनादरा में उपस्थित मिलेंगे। इसी दौरान पाबन्द शुदा टेक्सी चालक श्री लक्ष्मण मीणा मय अर्टिगा वाहन संख्या आरजे 24 टीए 3477 के भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित आया। तत्तपष्चात ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेष्वलाल मय ब्यूरो जाब्ता श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक, श्री अवतारसिंह ए.ए.ओ., श्री चेलाराम हैड कानि., श्री रमेश कुमार कानि. श्रीमती ईषू महिला कानि., श्री रामदयाल क.सहा. दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री महिपालसिंह व श्री विरेन्द्रसिंह, परिवादी श्री लखमाराम मय ट्रेप बॉक्स, फिनोथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये प्लास्टिक थेली युक्त, डीवीआर, मेमोरी कार्ड, विडियो कैमरा, कम्प्यूटर, लेपटोप, प्रिन्टर एवं आवष्यक अन्य सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरा नम्बर आरजे 14 यूए 0819 मय चालक श्री गणेशलाल व प्राईवेट वाहन अर्टिगा नम्बर आरजे 24 टीए 3447 मय चालक श्री लक्ष्मण मीणा के भ्रनिब्यूरो चौकी सिरोही से कस्बा अनादरा के लिऐ रवाना कस्बा अनादरा से कुछ दुर पहले हाईवे पर एकान्त स्थान पर पहुंचे। जहां परिवादी श्री लखमाराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री लखमाराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने मेरे स्तर पर श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति के बारे में मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि वह अभी तक अपने घर से बाहर नहीं आये है, आप मय ब्यूरो टीम के अपनी उपस्थित छिपाते हुऐ यही रूको। मैं अपने आवासीय भूखण्डों के चार दिवारी निर्माण कार्य स्थल पर जाकर श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी का मौके पर आने का इन्तजार करता हॅू। जैसे ही श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी का मौके पर आयेंगे मैं आपसे सम्पर्क कर फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि एक लाख रूपये एवं वॉयस रिकार्डर आपसे प्राप्त कर लेन-देन की कार्यवाही कर दूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस ने परिवादी श्री लखमाराम को हिदायत दी कि आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी आपके निर्माण स्ि्ल पर आये, उससे पहले मेरे से सम्पर्क कर फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि एक लाख रूपये व कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्ड कर प्राप्त करने के पष्चात की लेन-देन की अग्रिम कार्यवाही करे। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री लखमाराम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास गोपनीय स्थान पर उपस्थित आया एवं बताया कि मैने मेरे आवासीय भूखण्डों पर काफी समय इन्जातर करने पश्चात भी श्री लक्ष्मीलाल वहा उपस्थित नहीं आये। जिस पर मैं आपसे मिलने के लिऐ मोटर साईकिल लेकर निकला ही था की बीच रास्ते में ग्राम पंचायत भवन के पास ही मोटर साईकिल पर श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी मुझे अचानक मिले गये। जिस पर मैने मोटर साईकिल रोककर श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी से कहां कि साहब मैने मौके पर चार दिवारी का काम चालू करवा दिया है, आप मौका देख लो एवं आप द्वारा मांगे गये पैसे एक लाख रूपयों की भी मैने व्यवस्था कर दी है, आप कहो तो मैं लेकर आता हॅू। तो उन्होने मुझे कहां कि अभी मैं किसी अन्य कार्य में

व्यस्त हॅू। इसलिऐ मौका देखने के लिऐ नहीं आ सकता। पैसे तो देने ही पडेंगे। उन्होने मेरे मोबाईल नम्बर लिये एवं कहां कि मैं तुम्हे कॉल कर दूंगा या शनिवार को मेरे से मिलना उस दिन पैसे लेकर आना एवं मौका भी देख लेंगे। परिवादी के बताऐ गये तथ्यों से आज लेन-देन की कार्यवाही होना सम्भव नहीं होने से परिवादी श्री लखमाराम को हिदायत दी जब भी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी आपको कॉल कर मौके पर आने या रिश्वत राशि मांग करे तो तुरन्त ब्यूरो से सम्पर्क करे एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बनाऐ रखे। आज के रोज अग्रिम कार्यवाही होना सम्भव नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के भ्रनिब्यूरो सिरोही के लिऐ रवाना होने का निर्णय लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता मय साथ आये फिलोथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि, डीवीआर ट्रेप बॉक्स व अन्य उपकरण के जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के कस्बा अनादरा से रवाना होकर भ्रनिब्यूरो सिरोही पहुंचे। दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री महिपालसिंह व श्री विरेन्द्रसिंह व प्राईवेट वाहन मय चालक श्री लक्ष्मण मीणा को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं जब भी ब्यूरो द्वारा बुलाया जावे, तुरन्त ब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया गया एवं कार्यालय स्टाफ को भी ब्यूरो कार्यवाही की गोपनीयता बरतने हिदायत दी गई। ट्रेप बाफक्स सुरक्षित यथास्थिति में श्री चेलाराम हैड कानि. को सम्भलाया गया। दिनांक 03.03.2026 को दोपहर में परिवादी श्री लखमाराम ने जरिये वॉटसअप कॉल सम्पर्क कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि ग्राम पंचायत अनादरा के पास ही श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी मुझे मिले एवं बताया कि मैं मेरे सरकारी एवं निजी कार्यो से फ्री हो गया हॅू। आप एक दो दिन मैं पैसों की व्यवस्था करके लाकर मुझे देते हो तो मैं मौका भी देख लूंगा और चार दिवारी निर्माण कार्य की एनओसी भी जारी कर दूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस कल दिनांक 04.03.2026 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लेकर परिवादी श्री लखमाराम को हिदायत दी कि आप कल दिनांक 04.03.2026 को पूर्व की भांती कस्बा अनादरा से पहले सिरोही की तरफ हाईवे पर अपनी निजी मोटर साईकिल पर उपस्थित मिलने हेतु निर्देषित किया एवं स्वतन्त्र गवाह श्री महिपालसिंह सफाई निरीक्षक व श्री विरेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक एवं प्राईवेट वाहन मय चालक को कल दिनांक 04.03.2026 को ब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक को निर्देषित किया कि कल दिनांक 04.03.2026 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से कार्यवाही हेतु उपयोग में आने वाली सामग्री सहित अन्य आवष्यक तैयारी कर समस्त ब्यूरो स्टाफ को कल 12ः30 पी0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित आते हेतु पाबन्द करे। दिनांक 04.03.2026 को समय 12ः30 पी0एम0 पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री महिपालसिंह सफाई निरीक्षक एवं श्री विरेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक, प्राईवेट वाहन संख्या आरजे 24 टीए 2865 चालक श्री सुरेश हिरागर ब्यूरो कार्यालय सिरोही उपस्थित आये। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेष्वलाल मय ब्यूरो जाब्ता श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक, श्री अवतारसिंह ए.ए.ओ., श्री चेलाराम हैड कानि., श्री रमेश कुमार कानि. श्रीमती ईषू महिला कानि., श्री रामदयाल क.सहा. दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री महिपालसिंह व श्री विरेन्द्रसिंह, मय ट्रेप बॉक्स, फिनोथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये प्लास्टिक थेली युक्त, डीवीआर, मेमोरी कार्ड, विडियो कैमरा, कम्प्यूटर, लेपटोप, प्रिन्टर एवं आवष्यक अन्य सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरा नम्बर आरजे 14 यूए 0819 मय चालक श्री गणेशलाल व प्राईवेट वाहन आरजे 24 टीए 2865 मय चालक श्री सुरेश हिरागर के भ्रनिब्यूरो चौकी सिरोही से रवाना होकर कस्बा अनादरा में सिरोही की तरफ इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे। जहां परिवादी श्री लखमाराम अपनी निजी मोटर साईकिल पर उपस्थित मिला। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी अभी तक ग्राम पंचायत कार्यालय अनादरा में उपस्थित नहीं आये है ना ही उनका मेरे पास कोई फोन आया। अगर मैं उनके मोबाईल पर वार्ता करके ग्राम पंचायत कार्यालय अनादरा में आने हेतु निवेदन करूंगा तो आ सकते है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी एवं श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य मोबाईल पर वार्ता करवाने का निर्णय लिया गया। श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी श्री लखमाराम के मोबाईल नम्बर का लाउड स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर वार्ता करवाई तो वार्ता के दौरान परिवादी ने ग्राम विकास अधिकारी को कहां कि मैं आ रहा हॅू आप द्वारा बताया गया काम कर दिया, तो उसने कहां कि अभी तो मैं घर पर हॅू। कुछ देर बाद ग्राम पंचायत कार्यालय आउंगा तब मैं कॉल कर दूंगा तक आ जाना। तब तक इन्तजार करो। इस प्रकार परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई वार्ता अनुसार आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के पुनः ऑल आने के इन्तजार में कस्बा अनादरा में गोपनीय स्थान पर अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायहियान के कस्बा अनादरा स्थित भैरूतारक जैन धार्मिक स्थान पर जाने का निर्णय जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों के रवाना भैरूतारक जैन धार्मिक स्थान अनादरा पहुॅचं अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुऐ आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के कॉल के इन्तजार में व्यस्त हुऐ। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री लखमाराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी-अभी मेरे पास मोबाईल नम्बर से कॉल आया एवं बताया कि मैं लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी बोल रहा हॅू, आप तुरन्त ग्राम पंचायत कार्यालय अनादरा आ जाओ। जिस पर परिवादी के बताऐनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर मन्

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व परिवादी के भैरूतारक जैन धार्मिक स्थान अनादरा की तरफ जरिये प्राईवेट एवं सरकारी वाहनों एवं परिवादी स्वयं की मोटर साईकिल से रवाना ग्राम पंचायत कार्यालय अनादरा से कुछ दुर पहले ट्रेप बॉक्स से फिनोफथलीन पाउडरयुक्त नोट 1,00,000 रूपये जो एक प्लास्टिक की थेली में है। उक्त राशि को श्री गणेशलाल कानि. चालक से थेली से ट्रेप बॉक्स से बाहर निकलवाकर प्लास्टिक की थेली से एक लाख रूपये बाहर निकालकर परिवादी श्री लखमाराम के पहने पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई की इस राशि के हाथ नहीं लगाऐ आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मांगन पर उन्हे देवे एवं उन्हे राशि देने के पश्चात उनसे हाथ नही मिलावे, आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेने पर अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात कार्यालय हाजा की डिजीटल वॉयस रिकार्ड जिसमें नया मैमोरी कार्ड लगा हुआ है, उक्त डीवीआर चलाने की समझाईस कर परिवादी को सुपुर्द कर उसकी स्वयं की मोटर साईकिल से ग्राम पंचायत कार्यालय अनादरा के लिऐ रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे श्री रमेश कुमार कानि.नं. 119 व श्री अवतारसिंह एएओ को रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय हमराहियान के अपने-अपने वाहनों में उपस्थिति छिपाते परिवादी या ब्यूरो जाब्ता के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुऐ। करीबन 05ः35 पी0एम पर श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119 ने अपने मोबाईल नम्बर से जरिये वॉटसअप कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत राशि लेन-देन की सूचना दी एवं बताया कि ग्राम पंचायत भवन अनादरा के पास हाईवे पर मोटर साईकिल पर परिवादी श्री लखमाराम एवं उसके पास एक अन्य मोटर साईकिल एक अन्य व्यक्ति बैठा है। जहां से परिवादी ने रिश्वत राशि लेन-देन होने का ईशारा मन् कानि. को देखकर किया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल हमराह दोनों गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता के तुरन्त रवाना होकर ग्राम पंचायत अनादरा के आगे हाईवे पर पहुचे तो वहां पर परिवादी श्री लखमाराम अपनी मोटर साईकिल पर एवं पास में एक अन्य मोटर साईकिल पर एक व्यक्ति खड़ा मिला। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को पूर्व मे दिया गया डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर ऑफ कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। परिवादी श्री लखमाराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि यह पास में मोटर साईकिल पर श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी ही है। जब में ग्राम पंचायत अनादरा में गया तब वहां पर श्री लक्ष्मीलाल जी नहीं थे मैने कॉल किया तो उन्होने कहां कि मैं आ रहा हॅू। आप वहीं पर रूको। मैने थोडी देर इन्तजार किया तब श्री लक्षीलालजी अपने बेटे को साथ लेकर अलग-अलग मोटर साईकिल लेकर ग्राम पंचायत अनादरा में आये। श्री लक्ष्मीलालजी ने मेरे से मेरे एनओसी जारी करने के एवज में मेरे से एक लाख रूपये एक प्लास्टिक की थेली में डलवाये तथा उक्त थेली एक लाख रूपयें सहित अपने बेटे को दे दिये तथा उसे कहां कि यह राशि लेकर घर चले जाओं। जिस पर पास ही मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतारकर उन्हे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं हमरायान का परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम लक्ष्मीलाल पुत्र श्री नारायणलाल, जाति जीनगर, उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 135, मुनीराज नगर, अनादरा, जिला सिरोही हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अनादरा, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही, मोबाईल नम्बर व होना बताया। जिस पर श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी को श्री लखमाराम से एक लाख रूपये लेकर अपने पुत्र को देने के बारे पूछा तो उन्होने कहां कि श्री लखमाराम झूठ बोल रहा है। यह एनओसी के लिऐ मेरे पास आया था लेकिन मैने इससे कोई राशि प्राप्त नहीं की। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री लखमाराम ने कहां कि श्री लक्ष्मीराम ग्राम विकास अधिकारी झुठ बोल रहे है, इन्होने उक्त एक लाख रूपये अपने बेटे को एक प्लास्टिक की थेली में डलवाकर दिये है, तथा उसे अपने घर जाने के लिऐ कहां है। इनके पुत्र का नाम तो मैं नहीं जानता परन्तु उसने काले रंग का शर्ट एवं जिंस पेन्ट पहनी है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी एवं परिवादी को हमराह लेकर के जरिये प्राईवेट एवं सरकारी वाहनो के ग्राम पंचायत भवन अनादरा से रवाना होकर मुनीराज नगर अनादरा में प्रवेश हुऐ तो थोडा आगे आते ही परिवादी ने एक लडके की तरफ ईशारा कर बताया कि यह वहीं लड़का है जिसको श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी ने एक लाख रूपयों से भरी प्लास्टिक की थेली पकड़वाई थी। श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी को दस्तयाब शुदा वाहन में ही बैठा निगरानी हेतु श्री चेलाराम हैड कानि. एवं श्री गणेशलाल कानि. चालक को मामूर किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह गवाहान व परिवादी व अन्य ब्यूरो जाब्ता के उक्त काले रंग की शर्ट व जिन्स पहने लडके के पास पहुंचे, तो हमराह परिवादी ने कहां कि यह ही श्री लक्ष्मीलाल जी का बेटा है। जो ग्राम पंचायत भवन से प्लास्टिक की एक थेली में डालकर एक लाख रूपये लेकर वहा से घर के लिऐ गया था। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त लडके का अपना एवं हमरायान का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम अखिलेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीलालजी, जाति जीनगर, उम्र 31 वर्ष, पेशा कार बाजार ऐजेन्ट, निवासी मकान नम्बर 135, मुनीराज नगर अनादरा, जिला सिरोही, मोबाईल नम्बर होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को ग्राम पंचायत में श्री लखमाराम द्वारा जो एक लाख रूपये की राशि श्री लक्ष्मीलाल को दी गई थी, वह राशि प्लास्टिक की थेली में डालकर लाने के बारे में पुछा तो उसने कहां कि श्री लक्ष्मीलालजी ग्राम विकास अधिकारी मेरे पिताजी है, परन्तु मैं किसी राशि के बारे में नहीं जानता हॅू। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को एक बार पुनः तसल्ली से पूछने पर उसने बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे प्लास्टिक की थेली में डालकर एक लाख रूपये दिये तथा कहां कि

घर ले जाकर रख देना, परन्तु जब मैं मूनीराज नगर में प्रवेश हुआ तो कुछ अनजान लड़कें मोटर से मेरा पीछा कर रहे थे तो मैं डर गया कि कोई लूट न ले इसलिऐ मेने यह राशि थेली से बाहर निकालकर गिनकर वापस थेली में डालकर मुनीराज नगर में श्री चेलाराम/छतराजी चौधरी के भूखण्ड की निर्माणाधीन चार दीवारी के पास कॉर्नर पर पड़ी मिट्टी में दबाकर छुपा लिया एवं उसके उपर पत्थर डाल दिये है, जो मै। आपको वहा ले जाकर बता सकता हुं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री लखमाराम मय ब्यूरो स्टाफ के उक्त निर्माणाधीन दीवार के पास पहुंचे। जहां श्री चेलाराम/छतराजी चौधरी प्लाट के एक कॉर्नर की तरफ जहां पत्थर पड़े हुऐ थे कि तरफ ईशारा कर बताया कि मैने एक लाख रूपये प्लास्टिक की थेली सहित यही मिट्टी में छुपा लिये है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री अखिलेश कुमार को एक लाख रूपये खड्डे से बाहर निकालने हेतु कहां गया तो उसने पत्थर एवं मिट्टी हटाकर उसमें से एक सफेद रंगे की प्लास्टिक की थेली निकाल कर पेश की। उक्त थेली को गवाह श्री विरेन्द्रसिंह से चैक करवाया गया तो थेली पर ''श्री साईनाथ, रेडिमेड स्टोर, मेन बाजार अनादरा, जिला सिरोही'अंकित है तथा थेली में पांच सौ - पांच सौ रूपये के नोटों की दो गड्डीया मिली। जिसे गवाह श्री विरेन्द्रसिंह से गिनवाऐ जाकर चैक करवाये तो 500-500 रूपये के कुल 20 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के 10,000 रूपये व एवं 500-500 रूपये के 180 डमी नोट 90,000 रूपये कुल 1,00,000 रूपये पाये गये, उक्त सभी 180 डमी नोटों पर दोनों गवाहान, परिवादी श्री लखमाराम एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के लघु हस्ताक्षर किये हुऐ एवं 10,000 रूपये भारतीय मुद्रा के नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त बरामद रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये को गवाह श्री महिपालसिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तसल्ली से दस्तयाब शुदा श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी से परिवादी श्री लखमाराम से एक लाख रूपये रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछने पर श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी ने बताया श्री लखमाराम ने आबादी क्षैत्र आमला खेड़ा में ग्राम पंचायत द्वारा बनी सीसी रोड़ तोड़ दी थी, तो उसके विरूद्ध मैं कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करू एवं उसके पत्नी के नाम से क्रय शुदा आवासीय भूखण्ड की चार दिवारी निर्माण एवं शैचालय हेतु कुआ खुदवाने हेतु ग्राम पंचायत से एनओसी जारी करने के लिऐ उसने अपनी मर्जी से मुझे दिये थे, जो मैने अपने पुत्र श्री अखिलेश कुमार को देकर घर रखने के लिऐ भेजा था। साहब गलती हो गई माफ करो। मेरा रिटायर्डमेन्ट नजदीक है। श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी श्री लखमाराम के चार दीवारी निर्माण की एनओसी एवं सीसी रोड़ तोडने से सम्बधित की गई कार्यवाही के दस्तावेजात के बारे में पूछने पर उन्होने उक्त दस्तावेजात ग्राम पंचतायत कार्यालय अनादरा में होना बताया। श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी को उसके निवास स्थान के बारे में पुछने पर उन्होने बताया कि मैं परिवार सहित इसी मकान नम्बर 135 मुनीराज नगर में ही निवास करता हॅू। चेलाराम/छतराजी चौधरी के भूखण्ड की निर्माणाधीन चार दिवारी के पास श्री अखिलेश कुमार के हाथ की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने एवं श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के निवास स्थान की खाना तलाषी भी लिया जाना आवष्यक है। इसलिऐ श्री अखिलेश कुमार के हाथ धोवन की कार्यवाही श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के निवास स्थान मकान नम्बर 135, मुनीराज नगर अनादरा में किया जाने का निर्णय लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाहान, दस्तयाब शुदा श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी व श्री अखिलेश कुमार व ब्यूरो जाब्ता के जरिये सरकारी व निजी वाहनों के रवाना होकर श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के निवास स्थान 135, मुनीराज नगर, अनादरा पहुंचे। जहां मकान के मुख्य द्वार के बाहर दीवार से लगते ही बना पेडला (चौकी) ट्रेप बॉक्स रखवाया गया। श्री अखिलेश कुमार के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठे का धोवन लिया जाना आवष्यक होने से प्लास्टिक के दो डिस्पोजल साफ गिलासों में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन प्लास्टिक के एक गिलास के घोल में आरोपी श्री अखिलेश कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को गिलास में डुबोकर घुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने हल्का झांईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात तैयार दुसरे रंगहीन प्लास्टिक के एक गिलास के घोल में आरोपी श्री अखिलेश कुमार के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को गिलास में डुबोकर घुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का मटमेला हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने हल्का मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। उपस्थित गवाह श्री महिपालसिंह से पूर्व में सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि को एक बार पुनः चैक करवाये तो 500-500 रूपये के कुल 20 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के 10,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 180 डमी नोट 90,000 रूपये, इस प्रकार कुल 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) होने पाये गये। सभी 180 डमी नोटों पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री लखमाराम एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के लघु हस्ताक्षर किये हुये पाये गये। उक्त बरामद रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये (10,000 रूपये भारतीय मुद्रा एवं 90,000 डमी) जो ''श्री साईनाथ, रेडिमेड स्टोर, मेन बाजार अनादरा, जिला सिरोही'अंकित सफेद रंग की प्लास्टिक थेली जिसमें बरामद हुई थी उक्त राशि एक लाख रूपयों को उसी प्लास्टिक की थेली में डालकर उक्त प्लास्टिक की थेली को रिश्वत राशि एक लाख रूपये

सहित एक कपड़े की थेली में डालकर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री विरेन्द्रसिंह से आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी की जामा तलाषी लिरवाई गई तो पहने पेन्ट की जेब अपने नाम व पदनाम (लक्ष्मीलाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत .....) की मोहर एवं दो मोबाईल क्रमश मोटोरोला सिम नम्बर व सेमसंग सिम नम्बर होना पाया गया। इसके अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक राशि व दस्तावेजात नहीं पाये गये। नहीं कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त दोनों मोबाईल को कब्जा ब्यूरो लिया गया। इसी प्रकार श्री अखिलेश कुमार की जामा तलाषी गवाह श्री विरेन्दसिंह से लिरवाई गई तो उसके पहनी हुई जिन्स पेन्ट की जेब में एक आईफोन 14प्रो सिम नम्बर होना पाया गया। इसके अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक राशि व दस्तावेजात नहीं पाये गये। न हीं कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त दोनों मोबाईल को कब्जा ब्यूरो लिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी श्रीमती ईषू कंवर महिला कानि. नं. 157 द्वारा कार्यालय हाजा के विडियो रिकार्डर से करवाई गई। श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी के निवास स्थान मकान नम्बर 135, मुनीराज नगर अनादरा, जिला सिरोही की नियमानुसार खाना तलाषी ली जाकर फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी की निषादेही पर श्री कालूराम कनिष्ठ सहायक ने परिवादी श्री लखमाराम के लम्बित कार्य से सम्बंधित दस्तावेजात पेश किये। जिन्हे जरिये फर्द पेशकषी के कब्जा ब्यूरो लिये गये। विस्तृत विवरण फर्द में अंकित है। श्री लखमाराम द्वारा अपने आवासीय भूखण्ड के सिमांकन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई ग्राम पंचायत की सीसी सड़क की मरम्मत की क्षतिपूर्ति अथवा वसूली प्रक्रिया हेतु हेतु ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार की गई विधिक कार्यवाही की कोई पत्रावली/रिकार्ड संधारित करना नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा अपने पुत्र की आड़ में सीसी सड़क तोड़ने पर कानूनी कार्यवाही का भय दिखाकर एक लाख रूपये परिवादी से मांगकर स्वयं के लिए रिश्वत के तौर पर प्राप्त की गई है। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री लखमाराम, दस्तयाबषुदा आरोपीगण श्री लक्ष्मीलाल व श्री अखिलेश कुमार, मय ब्यूरो जाब्ता एवं जब्तषुदा मालखाना आर्टिकल्स के जरिये सरकारी एवं निजी वाहनों के ग्राम पंचायत कार्यालय अनादरा से परिवादी की पत्नी क नाम क्रय शुदा आवासीय भूखण्ड की तस्दीक हेतु रवाना आमला खेड़ा में परिवादी श्री लखमाराम की पत्नी श्रीमती भूरीदेवी के नाम क्रय षुदा आवासीय भूखण्ड पर पहुंचे। जहां आरोपी ने बताया कि इसी भूखण्ड पर चार दीवारी एवं शौचालय हेतु कुआ निर्माण एनओसी के लिऐ आवेदन किया था, जिसकी स्वीकृति ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित है। चूंकि पूर्व में लखमाराम के और उसके पड़ौसियों के आवासीय भूखण्डों की सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। जिस बाबत् मैंने दिनांक 06.01.2026, मंगलवार को मैंने मौके पर आकर विवादित प्लॉटों का सीमांकन किया जाकर मौका फर्द तैयार की गई थी, जो अभी कालूरामजी ने आपको पेश की थी। इसी जगह पर लखमाराम द्वारा सीसी सड़क में गड्डे कर दिये गये थे, जो उससे उसी दिन समतल करवा दिये थे। इस बाबत् लखमाराम के पड़ौसी ईष्वर कोली द्वारा संपर्क पोर्टल पर षिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसका निस्तारण उसी दिन कर दिया था। आरोपी के बताये गये कथनों एवं मौके की स्थिति से स्पष्ट है कि आरोपी के पास अधिकृत रूप से ग्राम पंचायत अनादरा अथवा किसी अधिस्वीकृति कार्यकारी संवेदक एजेन्सी के पास परिवादी से वसूल करने की राशि का वैधानिक अधिकार नहीं था। इस प्रकार परिवादी से आरोपी श्री लक्ष्मीलाल, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मांगकर प्राप्त की गई उक्त एक लाख रूपये की राशि रिश्वत के तौर पर प्राप्त की गई थी। तत्पश्चात आरोपी श्री लक्ष्लीलाल ग्राम विकास अधिकारी एवं परिवादी लखमाराम के मध्य दिनांक 04.03.2026 को हुई रूबरू रिष्वती राशि लेन-देन वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है, कि कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से स्पीकर से सुन-सुनकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिष्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब कर एवं मूल मेमोरी कार्ड का हैश वैल्यू ज्ञात मूल मेमोरी से से दो क्लोन पेन ड्राईव्ज तैयार कर मूल मेमोरी कार्ड का एक कपडे की थेली में डालकर सीलमोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित थेली पर मार्क ''टी अंकित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.03.2026 को प्रयाप्त रोशनी की व्यवस्थान होने से घटना स्थल एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल को घटना एवं नजरी नक्षा एवं हालात मौका तैयार किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री लक्ष्मीलाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अनादरा, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही ने अपने पदीय कृतव्य का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी लखमाराम से 1,00,000 रूपये की राशि वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध तरीके से मांग कर प्राप्त कर अपने पुत्र श्री अखिलेश कुमार को दिलवाने पर श्री लक्ष्मीलाल पुत्र श्री नारायणलाल, जाति जीनगर, उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 135, मुनीराज नगर, अनादरा, जिला सिरोही हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अनादरा, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही व आरोपी ग्राम विकास अधिकारी के पुत्र प्राईवेट व्यक्ति श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीलालजी, जाति जीनगर, उम्र 31 वर्ष, पेशा कार बाजार ऐजेन्ट, निवासी मकान नम्बर 135, मुनीराज नगर अनादरा, जिला सिरोही का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61(2)(क) बी.एन.एस 2023 की जद में आने से दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया जाकर नियमानुसार दोनों आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। आरोपीगण के विरूद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही के दौरान मुर्तिबा फर्दात् एवं जब्तषुदा प्रादर्ष पर ब्यूरो कार्यालय सिरोही की पीतल की मोहर से सील मोहर किये गये एवं वास्ते वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिये गये प्रादर्ष सुरक्षार्थ ट्रेप बॉक्स में श्री चेलाराम हैडकानि की निगरानी में रखवाये गये। अतः आरोपी श्री लक्ष्मीलाल पुत्र श्री नारायणलाल, जाति जीनगर,

उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 135, मुनीराज नगर, अनादरा, जिला सिरोही हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अनादरा, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही व सहआरोपी श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीलालजी, जाति जीनगर, उम्र 31 वर्ष, पेशा कार बाजार ऐजेन्ट, निवासी मकान नम्बर 135, मुनीराज नगर अनादरा, जिला सिरोही द्वारा धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61(2)(क) बी.एन.एस 2023 का अपराध प्रथम दृष्ट्या अपराध कारित करना पाये जाने से बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (रामेश्वर लाल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामेश्वर लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2)(क) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1. श्री लक्ष्मीलाल पुत्र श्री नारायणलाल, जाति जीनगर, उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 135, मुनीराज नगर, अनादरा, जिला सिरोही हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अनादरा, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही व 2. श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीलाल, जाति जीनगर, उम्र 31 वर्ष, पैशा कार बाजार ऐजेन्ट, निवासी मकान नम्बर 135, मुनीराज नगर अनादरा, जिला सिरोही के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मांगीलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 485 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 440-43 दिनांक 05.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** MANGI LAL RATHORE **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/03/2026 16:41:50

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** Pushpendra Singh Rathore

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1973 | | | | |
| 2 | Male | 1995 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (श्वल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)